उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन / शक्ति भवन विस्तार
14, अशोक मार्ग, लखनऊ–226001
CIN: U40101UP1980SGC005065

संख्याः 133 / औ0सं0 / उनिलि / 2023–9 / औ0सं0 / 2022 दिनांक : 22 / 02 / 2023

मुख्य अभियन्ता (स्तर–I) अनपरा / ओबरा / पारीछा / हरदुआगंज तापीय परियोजना, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0,
मुख्य अभियन्ता (स्तर–I / II), (तापीय परिचालन / पी0पी0एम0एम0 / वाणिज्य / पर्यावरण एवं सुरक्षा / ईंधन / आर0एण्ड एम0 / प्रगति / जानपद नव परियोजना / न्यू कोल ब्लाक उनिलि, लखनऊ ।
मुख्य अभियन्ता (स्तर–II), 2 X 660 मे0वा0 जवाहरपुर, तापीय परियोजना, जवाहरपुर–एटा)।
मुख्य अभियन्ता, पनकी 1 X 660 मे0वा0 पनकी तापीय परियोजना, पनकी कानपुर।
अध्यक्ष, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उनिलि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
कम्पनी सचिव, उनिलि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
अधीक्षण अभियन्ता (मा0सं0–01 / 03 / 04 / 05 / 06 / टावासे / रिफार्म) उनिलि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
उपमहाप्रबन्धक (मा0सं0–02) उनिलि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
उपमुख्य लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उनिलि लखनऊ।

विषयः– <u>वर्ष 2021–2022 हेतु उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम के कर्मचारियों को तदर्थ अनुग्रह धनराशि भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 द्वारा लेखा वर्ष 2021–2022 के लिये पूर्ण कालिक अराजपत्रित कर्मचारियों को उ0प्र0 पाकालि के पत्र सं0 435–औ0सं0–17 / पाकालि / 2023–116–ए0एस0 / 96 दिनांक 27.01.2023 की अनुरूपता में तदर्थ अनुग्रह धनराशि के रूप में 30 दिन की परिलब्धियों की स्वीकृत निम्नखित प्रतिबन्धों सहित सहर्ष प्रदान की है :–

1. पुनरीक्षित वेतन संरचना के अन्तर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल–8 (रू0 47600–151100) तक के पद (अपुनरीक्षित वेतनमानों में ग्रेड वेतन रू0 4800 / –) पर कार्यरत अराजपत्रित कर्मचारियों, को अनुमन्य किया जाये भले ही उन्हें इससे उच्च वेतन मैट्रिक्स लेवल वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य हुआ हो।
2. तदर्थ अनुग्रह धनराशि के भुगतान की गणना के लिये मासिक परिलब्धियों की अधिकतम सीमा रू0 7000 / – होगी। तदर्थ अनुग्रह धनराशि के लिये 01 माह में औसत दिनों की संख्या 30.4 के आधार पर दिनांक 31 मार्च 2022 को ग्राह्य परिलब्धियों के अनुसार 30 दिन की परिलब्धियॉ आगणित की जायेगी।
3. दिनांक 31 मार्च, 2022 को वास्तविक औसत परिलब्धियॉ रू0 7000 / – से ज्यादा होने की स्थिति में रू0 7000 / – की परिकल्पित परिलब्धि मानकर दिनांक 31 मार्च, 2022 को 30 दिन की परिलब्धियॉ (रू0 7000 X 30 / 30.4 = 6907.89) अर्थात 6908 / – तदर्थ अनुग्रह धनराशि के रूप में अनुमन्य होगी।
4. उक्त सुविधा केवल उन कर्मचारियों को अनुमन्य होगी, जिन्होनें दिनांक 31 मार्च, 2022 को एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली थी।
5. ऐसे कर्मचारी, जिनके विरूद्ध अनुशासन एवं अपील नियमावली के अन्तर्गत विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा किसी न्यायालय में अपराधिक मुकदमा लम्बित हो, को तदर्थ अनुग्रह राशि का भुगतान ऐसे अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा मुकदमें का परिणाम प्राप्त होने तक स्थगित रहेगा, जो दोषमुक्त होने की दशा में ही अनुमन्य होगा। इसके अतिरिक्त जिन कर्मचारियों को वर्ष 2021–2022 में किसी विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही अथवा अपराधिक मुकदमें में दंड दिया गया हो, उन्हें तदर्थ अनुग्रह राशि देय न होगी।
6. किसी वित्तीय वर्ष के तदर्थ अनुग्रह राशि के सम्बन्ध में एक बार निर्णय ले लिये जाने के पश्चात् अगामी वर्षो में किसी भी परिस्थिति में पुर्नविचार नहीं किया जायेगा।

7. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत तदर्थ अनुग्रह धनराशि की आंगणित धनराशि को निकटतम एक रूपयां में पूर्णांकित किया जायेगा अथार्त 50 पैसे या उससे अधिक को 1 रू0 मानकर और उससे कम को शामिल न करते हुए पूर्णांकित किया जायेगा।
8. दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों, जिन्होनें दिनांक 31 मार्च, 2022 को तीन वर्ष अथवा उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्यरत रहे हों, को भी यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे पूर्णकालिक कर्मचारियों को भी जिन्होनें दिनांक 31 मार्च, 2022 तक 1 वर्ष निरन्तर सेवा पूरी नही की है, परन्तु उक्त तिथि तक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, के रूप में (दोनों अवधियों को सम्मिलित करते हुए) तीन वर्ष या उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240, दिन कार्यरत रहे हों, यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे मामले में संबंधित कर्मचारी, के लिए मासिक परिलब्धियाँ रूपये 1200/– प्रतिमाह मानी जायेगीं और इस प्रकार तदर्थ अनुग्रह राशि की देय धनराशि रूपया 1200X30/30.4 = 1184.21 अथार्त रूपये 1184 पूर्णांकित होंगी परन्तु ऐसे कर्मचारी जिनकी वास्तविक परिलब्धियाँ रूपये 1200/– प्रतिमाह से कम है उन्हें तदर्थ अनुग्रह धनराशि की वास्तविक मासिक परिलब्धियों के आधार पर आंगणित की जायेंगीं ।
9. सभी श्रेणी के कर्मचारियों, जिन्हें उक्त सुविधा अनुमन्य है, को तदर्थ अनुग्रह धनराशि की अनुमन्य धनराशि का 75 प्रतिशत भाग संबंधित कर्मचारी के भविष्य निधि खाते/सी0पी0एफ0 में (जैसी भी स्थिति हो) जमा किया जायेगा तथा शेष 25 प्रतिशत धनराशि का नकद भुगतान किया जायेगा। यदि कोई कर्मचारी भविष्य निधि/सी0पी0एफ0 खाते का सदस्य नहीं है तो उसे उक्त धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में दी जायेगी अथवा पब्लिक प्राविडेन्ट फण्ड (पी0पी0एफ0) में जमा किया जायेगा। जो कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर दिनांक 31 मार्च, 2022 के बाद सेवानिवृत्त हो चुके है अथवा दिनांक 31 अगस्त, 2023 तक सेवानिवृत्त होने वाले हों उनको अनुमन्य सम्पूर्ण तदर्थ अनुग्रह धनराशि का भुगतान नकद दिया जायेगा।
10. वर्ष 2021–22 हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के कर्मचारियों को तदर्थ अनुग्रह धनराशि के भुगतान पर आये वित्तीय भार को निगम के आय–व्ययक 2022–23 के नामे डाला जायेगा।
11. अनुग्रह धनराशि के भुगतान के लिए लेखा स्कन्ध द्वारा पृथक से प्राधिकृत पत्र (लेटर ऑफ एथोरिटी) निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी और निगम के उक्त आदेश के आधार पर ही वर्ष 2021–22 हेतु अनुग्रह धनराशि का भुगतान ग्राहय होगा। कृपया उक्त निर्णयानुसार निधि आवंटन की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(अनिल कुमार मिश्र)
उपमहाप्रबन्धक (औ0सं0)

संख्याः /औ0सं0/उनिलि/2023–9/औ0सं0/2022 तद्दिनांक :

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (कार्मिक)/(वित्त)/(तकनीकी)/(परियोजना एवं वाणिज्य) उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, के निजी सचिव लखनऊ ।

(अनिल कुमार मिश्र)
उपमहाप्रबन्धक (औ0सं0)